भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2923

बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

एफ.डी.आई. में कमी

2923. श्री जगदम्बिका पालः
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः
श्री गौतम गंभीरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने एफडीआई प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है और उक्त अवधि के दौरान वास्तविक एफ.डी.आई. आवक कितनी है;

(ग) देश में निवेश पर्यावरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का देश में ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु एफ.डी.आई. नीति की समीक्षा, विशेषकर फार्मास्युटिकल क्षेत्र में, कृषि भूमि, बहु-स्तरीय विपणन और प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में ग्रामीण विकास कार्यों और फार्मास्युटिकल कंपनियों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले इसक प्रभाव के आकलन के लिए सरकार द्वारा कराए गए कोई अध्ययन, यदि हैं, तो क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): जी, नहीं। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, देश में 64.38 बिलियन अमरीकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई अंतर्वाह) दर्ज हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष 2017-18 (60.97 बिलियन अमरीकी डॉलर) की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, अप्रैल 2019 (वित्त वर्ष 2019-20) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एफडीआई अंतर्वाह के रूप में 6.95 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि संसूचित की गई है जो अप्रैल, 2018 (6.77 बिलियन अमरीकी डॉलर) की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक रहा है।

(ख): पिछले एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एफडीआई अंतर्वाह का ब्यौरा अनुमोदित (इसमें केवल सरकारी अनुमोदन के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव शामिल हैं) और एफडीआई प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**एफडीआई अंतर्वाह की राशि (बिलियन अमरीकी डॉलर) ***	**अनुमोदित एफडीआई प्रस्ताव (संख्या)**
1.	2018-19	64.38	59
2.	2019-20	6.95 (अप्रैल, 2019 तक)	5 (मई, 2019 तक)

(*)-आंकड़े अनंतिम है जिनका मिलान आरबीआई के अध्यधीन हैं।

(ग) से (ङ): सरकार का प्रयास सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति बनाने का रहा है। इसका आशय एफडीआई नीति को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाना और इस नीति की उन बाधाओं को दूर करना जो देश में निवेश अंतर्वाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मौजूदा एफडीआई नीति फ्रेमवर्क निषेध सूची की अवधारणा का पालन करता है जिसमें चुनिंदा कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, लागू कानूनों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन स्वतः मार्ग में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है। एफडीआई नीति की समीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है और एफडीआई नीति व्यवस्था में समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत आकर्षक निवेश स्थल बना रहे। संबंधित मंत्रालय/विभागों, राज्य सरकारों, शीर्ष उद्योग चैम्बर्स, संघों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ उनकी राय/टिप्पणियों पर गहन विचार विमर्श करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में अंशाकित तरीके से एफडीआई को अनुमति मिलती है। तथापि, सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया है।

****